न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर

बईजलास श्री कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, बीकानेर

नम्बर मुकदमा 52/06 रेफरेंस प्रार्थना–पत्र

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (रा) बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

1. बिरमाराम पुत्र पूराराम जाट निवासी पलाना तहसील व जिला बीकानेर (फौत)
1/1 ज्यानीदेवी (पत्नि)1/2 भंवरलाल–पुत्र(फौत) 1/3. मांगीलाल–पुत्र
1/4. प्रेमरतन–पुत्र 1/5. मोहनी–पुत्री 1/6. गुमानी–पुत्री 1/7. गीता–पुत्री
1/8. –शारदा–पुत्री
1/2. भंवरलाल(फौत) 1/2/1.मनोहरी – पत्नि 1/2/2. मनोज–पुत्र
1/2/3. माया–पुत्री 1/2/4. सरोज– पुत्री 1/2/5.– गुड्डी–पुत्री

–अप्रार्थीगण

रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 आरटीए, 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1– स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

2– अप्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण तिवाडी, अधिवक्ता ।

आदेश दिनांक 04.03.2020

1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी ने खसरा नं. 202 रकबा 37.5 बीघा हाल खसरा नं.438–439 रकबा 5.66 हैक्टयर ग्राम पलाना की भूमि अपने नाम कराने बाबत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दावा पेश किया परन्तु अप्रार्थी का नाम कभी भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज ही नहीं था। दावे में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नही बनाया गया। दो ऐसे व्यक्तियो को पक्षकार बनाया गया जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज ही नहीं था। वादी एवं प्रतिवादियों की सांठ गांठ से इकबाल दावा प्रस्तुत किया गया। ना तो तनकियात कायम हुई और ना ही शहादत हुई। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने दिनाक 31.03.73 को दावा अप्रार्थी के पक्ष में निर्णित कर दिया। अतः दावा संख्या 54/72 में उपखण्ड अधिकारी, उत्तर, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.73 एवं इंतकाल सं0 401 दिनांक 31.08.73 निरस्त किये जाने एवं उक्त भूमि अराजीराज घोषित किये जाने बाबत। प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेंर में अग्रप्रेषित करने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बीकानेर

2. रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

3. तदन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने खसरा नं. 202 रकबा 37.5 बीघा हाल खसरा नं.438–439 रकबा 5.66 हैक्टयर ग्राम पलाना की भूमि अपने नाम कराने बाबत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दावा पेश किया परन्तु अप्रार्थी का नाम कभी राजस्व रिकार्ड में दर्ज ही नहीं था। दावे में राज्य सरकार को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नही बनाया गया। दो ऐसे व्यक्तियो को पक्षकार बनाया गया जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज ही नहीं था। वादी एवं दोनो प्रतिवादियों की सांठ गांठ से इकबाल दावा प्रस्तुत किया गया। ना तो तनकियात कायम हुई और ना ही शहादत हुई। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने दिनाक 31.03.73 को दावा अप्रार्थी के पक्ष में निर्णित कर दिया। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में केसरा वल्द बुधर कौम जाट के नाम से अंकन थी। दावे में मनगढंत कहानी रचकर फूसाराम वल्द रेखाराम साकिन कालासर को पक्षकार बनाया गया। दावे में एक प्रतिवादी वादी का सगा भाई था। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड संवत 2008 से 2015 तक लाधुड़ी बेवा रामचन्द्र जाट के नाम तथा केसरा वल्द बछा काश्तकार दर्ज है। चौसाला खसरा गिरदावरी के कॉलम नं. 32 संवत 2014 में रूपा वल्द पूरा का नाम दर्ज है। जमाबंदी व गिरदावरी में भिन्नता है। केसरा वल्द बुधर को खातेदारी अधिकार किस आधार पर दिये गये। इसका कोई उल्लेख नहीं है। संवत 2008 से 2022 तक पन्द्रह वर्षो तक उक्त भूमि बंजर रही । किसी ने भी काश्त नही की। वादी एवं प्रतिवादी ने सांठगांठ कर 37.10 बीघा भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। नियम विरूद्ध निर्णय का रेफरेंस कभी भी किया जा सकता है। अतः भूमि अराजीराज घोषित किये जाने बाबत प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर में अग्रप्रेषित किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौरान ए बहस कथन किया कि रेफरेंस प्रार्थना पत्र लगभग 33 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है जो समयावधि पार है। प्रार्थना पत्र राज्य सरकार की ओर से पेश किया गया है किन्तु राज्य सरकार की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गयी है। 33 वर्षो की कालावधि के पश्चात रेफरेंस प्रार्थना पत्र के जरिये निर्णय व इंतकाल को चुन्नौति दिया जाना न्यायोचित नहीं है। वादगत भूमि अप्रार्थी के पिता के संवत 1984 से कब्जे काश्त में थे जो दादा रामचन्द्र से ली थी। संवत 2000 से पूर्व ही वे फौत हो गयें व रामचन्द्र की विधवा पत्नि मु. लाधुड़ी संवत 2010 में फौत हो गयी। रिकार्ड में भूमि केसरा के नाम से चलती रही जो संवत 1994 में फौत हो गया। केसरा के कोई औलाद नहीं थी। उसने रिवाजन सगे भाई के लड़के फूसाराम को खोले लिया जिसका अप्रार्थी जायज वारिस है। संवत 2012 में व इससे पूर्व अप्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार रहा है। इन्ही आधारो पर उपखण्ड अधिकारी ने दावा अप्रार्थी के हक में डिक्री किया था। रेफरेंस पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय का पूर्ण रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है जिसके अभाव में रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड संवत 2008 से 2015 तक उक्त भूमि लाधुड़ी बेवा रामचन्द्र जाट साकिन बछासर के नाम दर्ज है। चौसाला संवत 2014 में रूपा वल्द पूरा का नाम दर्ज है व संवत 2016 में लाधुड़ी के स्थान पर विरासतन इंतकाल सं. 91 में दिनांक 20.08.58 पूरो वल्द उधो जाट साकिन बच्छासर तथा नीचे रूपा वल्द पूरा कौम जाट सियाग साकिन देह संवत 2014 काश्तकार अंकन है जो संवत 2026 तक निरन्तर है। जमाबंदी संवत 2019 से 2029 तक केसरा वल्द बुधर कौम जाट का अंकन है। केसरा का नाम इंतकाल सं. 117 दिनांक 21.06.61 के जरिये दर्ज हुआ है। केसरा को खातेदारी किस आधार पर दी गयी है। इसका रिकार्ड में उल्लेख नहीं है। खातेदारी का इंतकाल सं. 117 सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया है जो विधि अनुरूप नहीं है। ग्राम पंचायत केवल विरासतन एवं बैयनामे के इंतकाल ही स्वीकृत कर सकती है। गिरदावरी संवत 2008 से 2022 तक उक्त भूमि बंजर रही है। अप्रार्थी का हक इस भूमि पर किस प्रकार से बना यह स्पष्ट नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णित वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण में सांठगांठ करके राज्य सरकार को पक्षकार बनाये बिना सरकारी भूमि को अपने नाम दर्ज करवा ली। राजस्व रिकार्ड के अवलोंकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अप्रार्थी को गलत रूप से खातेदार घोषित किया गया है। ऐबऐनिशियो वॉयड ऑर्डर को कभी भी चुन्नौत्ति दी जा सकती है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र अग्रप्रेषित किया जाना हम न्यायोचित पाते है।

7. उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रप्रेषित कर निवेदन है कि दावा सं. 54/72 में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.03.73 व इंतकल सं. 401 दिनांक 31.08.73 निरस्त किये जाने एवं उक्त भूमि अराजीराज घोषित करने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल, अजमेंर को अग्रप्रेषित किया जाता है। उपस्थित पक्षकारान को निर्देश दिये जाते है कि वे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष दिनांक 17.04.2020 को उपस्थित होवें । तहसीलदार, बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि वे राजकीय अभिभाषक के मार्फत माननीय राजस्व मंडल में रेफरेंस प्रस्तुत करे एवं स्टेट की ओर प्रभावी पैरवी करे।

8. आदेश आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर,बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर